न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

ओमप्रकाश व अन्य

बनाम

भींयाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री देवीसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो व तीन

आदेश

दिनांक 16 मई 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2024 अनवान भीयाराम बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त जायदाद मौजा आऊ तहसील आऊ जिला फलोदी की सरहद में स्थित खसरा सं 459 रकबा 84 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है। वादी/रेस्पो.. द्वारा अपने वाद में लिपिकीय भूल की दुरुस्ती का अनुतोष चाहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत देय न होकर भु-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत उपचार उपलब्ध है। रेस्पोडेंट्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 के तहत लिपिकीय त्रुटि के सुधार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन ही नहीं किया।

	अपीलान्ट व उसके पूर्वज सम्वतः 2015 से आज दिन तक वादग्रस्त भूमि के बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त में है, जबकि रेस्पोडेन्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी पूर्व में न ही वर्तमान में किसी प्रकार से कब्जा काश्त रहा है तथा न ही विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट्स की कोई ढाणी, टांका, या बाड़ा है । रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में गलत व मनगढंत कथन किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार आऊ की राजस्व रेकर्ड व मौके की स्पष्ट विस्तृत जांच रिपोर्ट से साबित है कि अपीलांट्स का मौके पर कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का गौर किया जावे तो अपने आप में विरोधाभाषी आदेश है। विवादित भूमि में अपीलान्ट व उसके सहखातेदार जवारा के वारिसान का सामलाती कब्जा काश्त दर्ज है, जिसका बंटवाडा, तरमीम नहीं किया हुआ है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अविभाजित भूमि पर उसके प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा अधिपत्य माना जाता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी उपधारणा के विरुद्ध 1/2 हिस्सा स्थगन मुक्त किया गया व 1/2 हिस्सा बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो हर सुरत में विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स का मुख्य आधार नामांतरकरण सं. 43 का लिया है, जबकि नामांतरकरण संख्या 43 विवादित भूमि से सम्बन्धित है ही नहीं, वास्तव में नामांतरकरण संख्या 43 खसरा संख्या 1198 रकबा 70 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार पाबुदान वल्द हजारीमल से सम्बन्धित है, जिनके द्वारा बेचान करने पर क्रेता जेठुसिंह वगैरा के नाम नामान्तरकरण खोला गया था जो सम्वतः 2017 में दर्ज सुदा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अत्यन्त ही भ्रमित होकर अधीनस्थ न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र पत्र पेश कर उसमें विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये है। रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद पत्र में जवारा/ तेजा के हिस्से से कोई एतराज नहीं होना बताता है तो कभी उसका हिस्सा स्थगन मुक्त रखने की सहमति देता है, फिर उसी के विरुद्ध अपील करता है। इससे भी जाहिर है कि रेस्पोडेट संख्या 1 पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित है तथा मनगढ़ंत व झूठी कहानी बनाकर अपीलांट के हक हिस्से की भूमि हड़पने का कुप्रयास किया जा रहा है जिसका रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट आज दिन रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्त है, जिसके उपयोग व उपभोग सहित सम्पूर्ण खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध	

	किसी भी प्रकार से स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का रेस्पोडेट संख्या 1 अधिकारी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 को निरस्त किया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचारण न्यायालय में वाद विचाराधीन है। हस्तगत मामले कें मुला एवं गुला के नाम का मुख्य झगड़ा है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं मौका रिपोर्टें भी विरोधाभासी है। अपीलांट्स राजस्व रेकर्ड की आड़ में वादग्रस्त आराजी का बेचान करने पर आमादा है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा भी पूर्व में अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया गया था, किंतु बाद में अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजीयात का बेचान नही किये जाने हेतु पाबंद किया गया है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय द्वारां वाद विचारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2015-2018 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट जवारा वल्द तेजा, गुला वल्द दाना कौम नायक के नाम से दर्ज रही है तथा अद्यतन जमाबंदी संवतः 2072-2075 ग्राम आऊ तहसील आऊ के खाता संख्या 34 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 26 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि होना प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान् के वर्तमान कब्जे काश्त की स्थिति के तथ्य पर गौर किये बिना रेकर्डेड खातेदारान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है।	

	इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। रेस्पो. का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त मुला पुत्र दाना का था, किंतु राजस्व अभिलेख में गुला वल्द दाना के नाम से दर्ज हो गई। इस बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेंट्स उक्त कथन मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। रेस्पोडेंट्स की ओर से अपील स्तर पर किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे रेस्पोडेंट्स के उक्त कथन की पुष्टि हो सके। कानूनन मौके पर काबिज व्यक्ति/रेकर्डेउ खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 अपास्त किया जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	